न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 04/2017 **दायरा दिनांक : 04.01.2013**

उनवान

कालू पुत्र धन्ना जाति काछी निवासी ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— कल्याण पुत्र घीसा उर्फ घासीलाल

2— मूलचन्द पुत्र घीसा उर्फ घासीलाल

अकवाम काछी निवासी ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड

3— ग्यारसीराम पुत्र घीसा उर्फ घासीलाल जाति काछी निवासी राडी के बालाजी गागरोन रोड झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड

4— सुन्दरबाई पुत्री घीसा उर्फ घासीलाल जोजे पानाचन्द जाति काछी निवासी ल्हास तहसील अकलेरा जिला झालावाड

5— गणेशबाई पुत्री घीसा उर्फ घासीलाल जोजे मंगलसिंह जाति काछी निवासी सारथल तहसील छीपाबडौद जिला बारां

6— शाखा प्रबन्धक भरतीय स्टेट बैंक शाखा अकलेरा जिला झालावाड

7— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अकलेरा जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी.पी. खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री महेन्द्र कुमार जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 02.01.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या — 25/दावा/2012 निर्णय दिनांक 10.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नं. 1 कल्याण ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम लहास

तहसील अकलेरा में नई खतौनी संख्या 34 की खसरा नं. 115 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 350 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 351 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 352 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं. 353 रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 621 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं. 622 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नं. 629 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 703 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 707 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 708 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 709 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 710 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 1314 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 14 किता की 24 बीघा आराजी स्थित है, जिसमें वादी का 3/20 हिस्सा है। आराजी शामलाती खाते में होने में हांकने जोतने में कठिनाई आती है। अतः दावा वादी स्वीकार कर वादी के खाते की आराजी को पृथक से दर्ज किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–07–2015 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि प्रारंभिक डिक्री जारी किये बिना ही फाइनल डिक्री जारी की है। पत्रावली जवाब दावे में लंबित थी। 10–06–2015 को पत्रावली नहीं निकाली गई और बिना सूचना के कैम्प में दिनांक 10–07–2015 को निर्णय पारित किया गया। सहमति विभाजन पत्र के आधार पर तहसीलदार ही विभाजन के लिए सक्षम है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से परे है। सभी सहखातेदारों की सहमति के बिना अंतिम डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अपीलांट ने हाजिर होने के हस्ताक्षर किये थे, न की सहमति पर । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि कैम्प में मौके पर कह दिया गया था कि आगामी तारीख अदालत में मालूम कर लेना, परंतु तारीख मालूम नहीं हो पाई। दिनांक 20–12–2016 को जब प्रतिपक्षी ने जाहिर किया कि कैम्प में डिक्री प्राप्त कर ली है तो निर्णय की जानकारी हुई। अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रारंभिक डिक्री जारी नहीं है, सीधे ही अंतिम डिक्री जारी की है। पहले प्रारंभिक डिक्री जारी होनी चाहिए। राजस्व मंडल नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। समस्त पक्षकार मौजूद नहीं थे। सीपीसी की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट सहमति दे चुके है। उन्हें अब अपील करने का अधिकार नहीं हैं। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंब का शमन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब दावे में लंबित थी और इसे दिनांक 10–07–2015 को कैम्प कोर्ट में रखा गया । कैम्प कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिक के अनुसार अपीलांट कालूलाल वादी कल्याण प्रतिवादी नं. 1 मूलचन्द, प्रतिवादी नं. 3 सुंदरबाई, प्रतिवादी नं. 4 गणेशीबाई उपस्थित थे, पंरतु निशानी अंगुठा एंव हस्ताक्षर आदेशिका पर 4 व्यक्तियों के है, जिसमें अपीलांट कालूलाल के भी हस्ताक्षर है। इसी प्रकार सहमति पत्र जो पत्रावली में सलंग्न किया गया है, उसमें कालूलाल के हस्ताक्षर है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर जो विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है, उसमें अपीलांट कालू को 6 किता की 12 बीघा आराजी दी गई है, जो राजस्व रिकार्ड में उनके दर्ज हिस्से के अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट ने स्वयं सहमति पर हस्ताक्षर किये है तो इस सहमति के आधार पर जारी किये गये बंटवारा आदेश एवं डिक्री के विरूद्ध उन्हें अपील पेश करने का अधिकार नहीं हैं। इस दृष्टि से अपील अपीलांट मेन्टेलेवेल नहीं है, यदि अपीलांट ऐसा महसूस करते है कि उन्होनें सहमति के हस्ताक्षर नहीं वरन् उपस्थिति के हस्ताक्षर किये थे, तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन तथ्यों के आधार पर रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने के लिए स्वतंत्र है। अन्य कोई व्यथित पक्षकार जिसने कि बंटवारे पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं किये है, उनके अपील के अधिकार इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मेन्टेलेवेल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07. 2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा